डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ0 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम –हिण्डौन जिला करौली
इजलास हेमराज गुर्जर, R.A.S.

उनवान

1.	दलसिंह	पिसरान चौथीलाल जाति मीना निवासी सूरौठ
2.	मगन	तहसील सूरौठ जिला करौली राजस्थान ————————वादीगण

बनाम

1.	महेश पुत्र शिवलाल	जाति मीना निवासी सूरौठ
2.	बबलू पुत्र गोरधन	तहसील सूरौठ जिला करौली ————————प्रतिवादीगण

दावा बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा **मुकदमा नं0 1383/2020**

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे हाजिरी श्री अशोक नीमनका एडवोकेट मिन कानिव मुदई रूबरू श्री कृष्ण मुरारी शर्मा एडवोकेट मिन जानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि दावा वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा विवादित आराजी खसरा नम्बर 1130 रकबा 0.12 है0, 1127 रकबा 0.35 है0, 1133 रकबा 0.06 है0, 1139 रकबा 0.05 है0, 1140 रकबा 0.10 है0, 1141 रकबा 0.09 है0, 1142/3165 रकबा 0.14 है0 वाके ग्राम सूरौठ तहसील सूरौठ खारिज किया जाता है।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख ....14/8/25........को यह डिक्री जारी की गई।

(हेमराज गुर्जर) 14/8/25
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 1383/2020 तारीख रजूः—15.12.2020

पीठासीन अधिकारी :— हेमराज गुर्जर

R.A.S.

1.	दलसिंह	पिसरान चौथीलाल जाति मीना निवासी सूरौठ
2.	मगन	तहसील सूरौठ जिला करौली राजस्थान ——————वादीगण

बनाम

1.	महेश पुत्र शिवलाल	जाति मीना निवासी सूरौठ
2.	बबलू पुत्र गोरधन	तहसील सूरौठ जिला करौली ——————प्रतिवादीगण

दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितः—1. श्री अशोक नीमनका एडवोकेट सायलान
2. श्री कृष्ण मुरारी शर्मा एडवोकेट गैरसायलान

निर्णय दिनांक :—

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वकील वादीगण ने दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण पेश कर वाद पत्र के मद नं0 1 में दर्ज किया है कि आराजी ख0 नं0 1127 रकवा 35 ऐअर, ख0 नं0 1133 रकवा 6 ऐअर, ख0 नं0 1139 रकवा 5 ऐअर, ख0 नं0 1140 रकवा 10 ऐअर, ख0 नं0 1141 रकवा 9 ऐअर, ख0 नं0 1142/3165 रकवा 14 ऐअर कुल किता 6 कुल रकवा 79 ऐअर स्थित कस्बा सूरौठ तहसील सूरौठ में वादीगण का हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड है। जिससे प्रतिवादीगण का कोई संबंध किसी प्रकार का नहीं है।

वाद पत्र के मद नं0 2 दर्ज है कि आराजी ख0नं0 1130 रकवा 12 ऐअर स्थित कस्बा सूरौठ तहसील सूरौठ वादीगण की खातेदारी की आराजीयात से सटी हुई है। जिसकी खातेदारी बाबूलाल पुत्र घूडयाराम, जाति अग्रवाल निवासी आगरा बहिस्सा 1/2 दर्ज रिकॉर्ड है उक्त बाबूलाल पुत्र घूडयाराम के कोई वारिसान नहीं होने के कारण उक्त ख0नं0 1130 का सम्पूर्ण रकवा 12 ऐअर मौके पर खाली पडा हुआ एवं आमजन के आवागमन बाबत, सार्वजनिक खलियान डालने, सार्वजनिक कृषि उपकरण रखने बाबत

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

लम्बे समय से उपयोग में आ रही है। उक्त ख0 नं0 1130 वादीगण की खातेदारी की आराजीयात के लगवा स्थित होने के फलस्वरूप वादीगण भी उक्त ख0 नं0 1130 को अपने कृषि आराजीयात के आवागमन बाबत एवं पशुधन को लाने ले जाने बाबत एवं कृषि उपकरण रखने बाबत उपयोग में लेते चले आ रहे हैं। जिससे आज दिन तक किसी को कोई गुरज नहीं रहा है।

वाद पत्र के मद नं0 3 में दर्ज किया है कि प्रतिवादीगण भूमाफिया किस्म के लोग है जिनकी कुदृष्टि उक्त खाली भूमि ख0 नं0 1130 के साथ साथ वादीगण की खातेदारी की भूमियों पर पडी हुई है। जिसके चलते प्रतिवादीगण आये दिन वादीगण को उनकी खातेदारी की भूमियों को बेचान करने बाबत दबाब बनाने के आशय से आये दिन झगडा फसाद करते है। बाका दिनांक 10.12.2020 को प्रतिवादीगण एक राय होकर वादीगण की आराजीयात की नापतोल कर रहे थे जिसका कारण पूछने पर प्रतिवादीगण ने स्पष्ट कहा कि हम ख0 नं0 1130 पर कब्जा कर इसमें प्लाट काट रहे है साथ ही तुम्हारे हिस्से पर भी आवासीय कॉलोनी बनायेंगे। वादीगण ने अपने हिस्से को बेचान कर देंगे। वादीगण ने प्रतिवादीगण को समझाने का भरसक प्रयास किया, मगर वे किसी की एक मानने को तैयार नहीं है। इसलिये दावा दायर करना आवश्यक हुआ है।

वाद पत्र के मद नं0 4 में दर्ज किया है कि विनाय दावा दिनांक 10.12.2020 को वादीगण के हिस्से की भूमि को बेचान करने एवं प्लाट काटने की धमकी बमुकाम सूरौठ तहसील सूरौठ में पेश हुई है।

वाद पत्र के मद नं0 5 में दर्ज किया है कि विनाय मुख्यास्मत व सकूनत फरीकेन एवं वादग्रस्त आराजीयात कस्बा सूरौठ में स्थित होने के कारण उक्त वाद की सुनवाई का अधिकार श्रीमान न्यायालय हाजा को प्राप्त है।

वाद पत्र के मद नं0 7 में दर्ज किया है कि वादीगण निम्न इस्तदुआ की प्रार्थना करते हैं :–

वाद पत्र के मद नं0 7 के मद नं0 7 (क) में दर्ज किया है कि दावा वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जाकर प्रतिवादीगण को इस प्रकार पाबंद फरमाया जावे कि वे आराजी ख0 नं0 1127, 1130, 1133, 1139, 1140, 1141, 1142/3165 स्थित कस्बा सूरौठ से वादीगण को बेदखल कर स्वयं कब्जा नहीं करे। वादीगण के उपयोग, उपभोग में वादीगण के आवागमन में कोई व्यवधान नहीं करे। कृषि भूमि को अकृषि में परिवर्तित नहीं करे। उक्त आराजीयात में कोई निर्माण कार्य नहीं करे। ऐसा कोई कार्य ना तो स्वयं करे। ना ही किसी अन्य से करावे। जिससे हकूक वादीगण परप्रतिकूल प्रभाव पडे। रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण बाद तामील जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये। कई अवसर दिये जाने के उपरान्त भी प्रतिवादीगण ने जबावदावा पेश नहीं करने पर दिनांक 25.06.2024 को जबावदावा बन्द कर दिया गया तथा पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी नियत की गई। वकील वादीगण ने कोई साक्ष्य नहीं कराई बल्कि सीधे ही प्रकरण में बहस करने का निवेदन किया।

वकील वादीगण ने दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबन्दी सं. 2071–74 पेश की है।

वकुलाय फरीकेन उपस्थित। वकुलाय फरीकेन की बहस सुनी गई। जिस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील वादीगण की ओर से प्रस्तुत नकल जमाबन्दी सं. 2071–74 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 1130 रकबा 0.12 है0 वाके ग्राम सूरौठ तहसील सूरौठ की खातेदारी फर्म बाबूलाल सुरेन्द्र कुमार अग्रवाल सूरौठ खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

नकल जमाबन्दी सं. 2071–74 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 1127 रकबा 0.35 है0, 1133 रकबा 0.06 है0, 1139 रकबा 0.05 है0, 1140 रकबा 0.10 है0, 1141 रकबा 0.09 है0, 1142/3165 रकबा 0.14 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 0.79 है0 वाके ग्राम सूरौठ तहसील सूरौठ में वादी दलसिंह हि0 1/21, वादी मगन हि0 1/21 भाग के सहखातेदार काश्तकार हैं तथा शेष हिस्से के अन्य खातेदार मुताविक राजस्व रिकार्ड हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1130 रकबा 0.12 है0 वाके ग्राम सूरौठ तहसील सूरौठ की खातेदारी फर्म बाबूलाल सुरेन्द्र कुमार अग्रवाल सूरौठ खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है जिससे वादीगण एवं प्रतिवादीगण का कोई सम्बन्ध किसी प्रकार का होना नहीं पाया जाता है तथा विवादित आराजी खसरा नम्बर 1127 रकबा 0.35 है0, 1133 रकबा 0.06 है0, 1139 रकबा 0.05 है0, 1140 रकबा 0.10 है0, 1141 रकबा 0.09 है0, 1142/3165 रकबा 0.14 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 0.79 है0 वाके ग्राम सूरौठ तहसील सूरौठ में वादी दलसिंह हि0 1/21, वादी मगन हि0 1/21 भाग के सहखातेदार काश्तकार हैं। वादीगण ने अपने वाद पत्र में यह कहीं भी अंकन नहीं किया है कि उक्त विवादित आराजीयात में वादीगण का 2/21 हिस्सा किस तरफ है। उक्त विवादित आराजीयात के बाबत् मात्र वादीगण को ही प्रतिवादीगण से किसी प्रकार की हानि या क्षति पहुँचाने या वादीगण की खातेदारी की भूमि में प्रतिवादीगण के द्वारा प्लाट काटना साबित नहीं होता है। उक्त विवादित

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

आराजीयात के अन्य सहखातेदार तो 19/21 भाग के हैं, जिन्हें प्रतिवादीगण से कोई आपत्ति किसी प्रकार की नहीं हैं। ऐसे हालात में वादीगण के द्वारा उक्त दावा प्रतिवादीगण से मात्र द्वेष भावना से पेश किया जाना प्रतीत होता है। वादीगण के द्वारा ऐसा कोई भी दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किया है कि जिससे यह साबित हो सके कि उक्त विवादित आराजीयात में प्रतिवादीगण के द्वारा वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न कर रहें और वादीगण की सहखातेदारी की भूमि में जबरन कब्जा कर प्लाट काटना चाहते हों। वादीगण ने यह दावा खिलाफ प्रतिवादीगण एकदम मनगढन्त तथ्यों के आधार पर पेश किया है। इस प्रकार वादीगण, प्रतिवादीगण के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा की रिलीफ भी प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। ऐसे हालात में वादीगण का दावा बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा खिलाफ प्रतिवादीगण खारिज योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः दावा वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा विवादित आराजी खसरा नम्बर 1130 रकबा 0.12 है0, 1127 रकबा 0.35 है0, 1133 रकबा 0.06 है0, 1139 रकबा 0.05 है0, 1140 रकबा 0.10 है0, 1141 रकबा 0.09 है0, 1142/3165 रकबा 0.14 है0 वाके ग्राम सूरौठ तहसील सूरौठ खारिज किया जाता है। उपरोक्तानुसार पर्चा डिकी जारी हो। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक ....12/8/13.... को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

12/8/13

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन (करौली)